



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092024-257441
CG-DL-E-25092024-257441

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3815]
No. 3815]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 2024/आश्विन 1, 1946
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 2024/ASVIN 1, 1946

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

पॉलीयूरेथेन्स (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2024

का.आ. 4172(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलीयूरेथेन्स (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलीयूरेथेन्स (क्वालिटी नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2024 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- पॉलीयूरेथेन्स (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 में पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) यह 19 मार्च, 2025 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. पीसीटी- 59011/47/2024-पीसी. टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्याक का.आ. 3931(अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्याक का.आ. 89(अ), तारीख 7 जनवरी, 2022, का.आ. 1277(अ), तारीख 23 मार्च, 2022, का.आ. 4141(अ), तारीख 2 सितंबर, 2022, का.आ. 1238(अ), तारीख 15 मार्च, 2023 और का.आ. 1112(अ), तारीख 6 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

POLYURETHANES (QUALITY CONTROL) AMENDMENT ORDER, 2024

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2024.

S.O. 4172(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Polyurethanes (Quality Control) Order, 2021, namely: -

1. (1) This order may be called the Polyurethanes (Quality Control) Second Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Polyurethanes (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 19th day of March, 2025”.

[F.No. PCT-59011/47/2024-PC.TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 3931(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 89(E), dated the 7th January, 2022, S.O. 1277(E), dated the 23rd March, 2022, S.O. 4141(E), dated the 2nd September, 2022, S.O. 1238(E), dated the 15th March, 2023 and S.O. 1112(E), dated the 6th March, 2024.

पी-जाइलीन (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2024

का.आ. 4173(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पी-जाइलीन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पी-जाइलीन (क्वालिटी नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पी-जाइलीन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 में पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(2) यह 19 मार्च, 2025 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. पीसीटी- 59011/47/2024-पीसी. टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव